राजस्व अपील संख्या : 115/2024
उनवान : भीकाराम बनाम तहसीलदार देसूरी अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 115/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/631

अपीलाण्ट :–

भीकाराम पुत्र चमनाजी चौधरी जाति सीरवी निवासी गिराली तहसील देसूरी जिला पाली राज.

बनाम

रेस्पोडेण्ट :–

तहसीलदार देसूरी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार देसूरी का राजस्व विविध प्रकरण संख्या 12/2024 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2024 द्वारा पारित किया गया को निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी।

–:निर्णय:–

दिनांक: 16.07.2025

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर **न्यायालय नायब तहसीलदार देसूरी का राजस्व विविध प्रकरण प्रकरण संख्या 12/2024 अन्तर्गत धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 30.10.2024 को निरस्त करवाने बाबत्** पेश की गई। साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पटवार हल्का, ढालोप तहसील देसूरी द्वारा एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि सम्वत् 2081 में मौजा गिराली के खसरा नम्बर 71 कुल रकबा 1.70 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन ओरण में 72 वर्गमीटर भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा पक्का मकान मय कब्जा किया हुआ है, जिस पर नायब तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रकरण संख्या 12/2024 दर्ज करते हुए अपीलाण्ट भीकाराम को दिनांक 15.10.2024 को तहसील कार्यालय देसूरी में उपस्थित होकर जवाब पेश करने का नोटिस जारी किया। जिसकी पालना में अपीलाण्ट तहसीलदार देसूरी के समक्ष हाजिर हुआ एवं तारीख 15.10.2024 को अपनी तरफ से प्रकरण संख्या 12/2024 में जवाब पेश किया जिसमें अपीलाण्ट द्वारा स्पष्ट रुप से वर्णित किया कि ग्राम गिराली के खसरा नम्बर 71 रकबा 72 वर्गमीटर किस्म गैर मुमकीन ओरण पर अपीलाण्ट का कोई कब्जा नहीं है। उपरोक्त ओरण भूमि वराहमाताजी की ओरण होने से माताजी के भक्तों द्वारा चन्दा करके पुराने निर्मित चबूतरे की मरम्मत कर नवनिर्माण कार्य किया हैं जो वारामाताजी का चबूतरा है। जिस पर समस्त ग्रामवासी पक्षियों का दाना देते है उस पर किसी व्यक्ति विशेष का कब्जा नहीं है। वारामाताजी मन्दिर भक्तों के चन्दे से बनाया गया सार्वजनिक चबूतरा है जिस पर अपीलाण्ट भीकाराम का कोई कब्जा नही होने से कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जाए। उक्त जवाब पेश करने के बाद नायब तहसीलदार देसूरी के न्यायालय में अपीलाण्ट को पेशी दिनांक 22.10.2024 दी गयी। जिस पेशी पर अपीलाण्ट को कहा कि आज पीठासीन अधिकारी बाहर दौराने में होने से आयन्दा तारीख पेशी बाबत आपको इतला कर दी जायेगी। अपीलाण्ट को बाद में कोई सूचना नही दी ओर बिना सूचना के तारीख पेशी दिनांक 30.10.2024 को पेशी पर ली जाकर अपीलाण्ट की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए बिना अपीलाण्ट को सुने

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला पाली

राजस्व अपील संख्या : 115/2024
उनवान : भीकाराम बनाम तहसीलदार देसूरी अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

एक पहले से प्रिन्टेड निर्णय पर निर्णय छाप दिया। जिसकी इत्तला तक अपीलाण्ट को नहीं दी गई। अपीलाण्ट तारीख 18.12.2024 को अपने विरुद्ध की गई कार्यवाही का पता लगाने रेस्पोडेण्ट के न्यायालय मे गया तो अपीलाण्ट को बताया गया कि उसके विरुद्ध तारीख 30.10.2024 को निर्णय पारित कर दिया गया है। अतः अपीलांट की तरफ से अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करते हुए अपीलाण्ट का निर्णय दिनांक 30.10.2024 द्वारा अतिक्रमी मानते हुये बेदखली का आदेश पारित किया है जो निर्णय निरस्त फरमाया जाए।

अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। जो प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पोडेण्ट की ओर से वक्त बहस कोई उपस्थित नहीं होने से अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस सुनी गई।

काबिल अधिवक्ता अपीलार्थीपक्ष ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए एवं बहस के दौरान निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम गिराली के आम लोगों एवं भक्तों द्वारा सेवा भावना से प्रेरित होकर कबूतरों हेतु बनाए गए कबूतरे को अपीलाण्ट का व्यक्तिगत कब्जा एवं मकान मानने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। यह भी, कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साइक्लोस्टाईल प्रारुप में पूर्व प्रिन्टेड निर्णय पारित किया है, जो निर्णय की परिभाषा में नही आता है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत लिखित जवाब को नज़रअन्दाज करते हुए एकतरफा ढंग से आलोच्य निर्णय पारित किया गया है, जिसे अपास्त किया जाए।

मैंने काबिल अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस सुनी गई तथा अपील मीमों एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देसूरी के प्रकरण संख्या 12/2024 के मूल रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

हस्तगत अपील का गुणावगुण आधार पर निर्णय करने से पूर्व मियाद के प्रश्न का निर्धारण आवश्यक है। अपीलार्थी ने हस्तगत अपील के सहवर्ती एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पेश कर जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय दिनांक 30.10.2024 की अपीलाण्ट को सर्वप्रथम जानकारी 18.12.2024 को नकल प्राप्त करने पर हुई। अतः देरी का उपशमन करते हुए हस्तगत अपील को मियादशुमार घोषित फरमावें।

रेस्पोडेण्ट तहसीलदार देसूरी स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के मार्फ़त उपस्थित नहीं आए है और न ही ऐसा कोई दस्तावेज अथवा तथ्य ही प्रस्तुत किया है जिस आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के खण्डन में कोई नवीन उपधारणा की जा सके। अतः अपीलाण्ट द्वारा शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को प्रमाणित मानने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नही होने से उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा देरी का उपशमन करते हुए हस्तगत अपील को मियाद शुमार घोषित किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित प्रकरण संख्या 12/2024 के मूल रिकॉर्ड से ज़ाहिर होता है कि हल्का पटवारी गिराली द्वारा दिनांक 25.09.2024 को एक रिपोर्ट तहसीलदार देसूरी को इस आशय की पेश की गई कि गैर सायल/अपीलाण्ट द्वारा सम्वत् 2081 में ग्राम गिराली के खसरा संख्या 71 कुल रकबा 1.70 हैक्टेयर गैर मुमकीन ओरण में कुल 72 वर्गमीटर का दो मंजिला पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है। उक्त पटवारी रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार देसूरी में प्रकरण संख्या 12/2024 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया गया। यद्यपि आदेशिका में दर्ज दिनांक अंकित नहीं है। नायब तहसीलदार देसूरी द्वारा गैर सायल को दिनांक 07.10.2024 को नोटिस प्रेषित कर दिनांक 15.10.2024 को न्यायालय में उपस्थित होने अथवा उससे पूर्व उक्त भूमि खाली कर देने हेतु सूचित किया गया। गैर सायल व अपीलाण्ट श्री भीकाराम द्वारा नियत दिनांक 15.10.2024 को

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला–पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 115/2024
उनवान : भीकाराम बनाम तहसीलदार देसूरी अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

व्यक्तिगत उपस्थित होकर लिखित जवाब पेश करते हुए निवेदन किया गया कि खसरा संख्या 71 गैर मुमकिन ओरण पर वाराह माताजी का ओरण होने से माताजी के भक्तों द्वारा चन्दा कर पुराने निर्मित कबूतरों के चबूतरे की मरम्मत कर नवनिर्माण किया है एवं उस पर किसी व्यक्ति विशेष का कब्जा नहीं होकर भक्तों के चन्दे से बनाया गया सार्वजनिक चबूतरा है। यह भी अंकित किया कि गैर सायल के नाम से बिना किसी जाँच पड़ताल के और चबूतरे पर लगे बोर्ड को बिना देखे गलत व निराधार नोटिस दिया गया है, जिस कारण कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जाए।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रकरण संख्या 12/2024 में आदेशिका दिनांक 15.10.2024 में गैर सायल द्वारा उक्त जवाबपत्र प्रस्तुत होने का अंकन भी किया गया है।

प्रकरण में आगामी पेशी तारीख दिनांक 22.10.2024 को पीठासीन अधिकारी का बाहर दौरा अंकित करते हुए आगामी तिथि दिनांक 30.10.2024 तय की गई। दिनांक 30.10.2024 को प्रत्यर्थी विरुद्ध गैर सायल निर्णीत किया गया तथा आदेशिका में विस्तृत फैसला पृथक से लिखा जाना उल्लेखित है।

प्रकरण संख्या 12/2024 में पृथक से संलग्न निर्णय दिनांक 30.10.2024 का अवलोकन करने से यह ज़ाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त निर्णय में गैर सायल द्वारा दिनांक 15.10.2024 को प्रस्तुत जवाबपत्र में अंकित तथ्यों का कहीं अंकन नहीं किया गया और न ही उक्त जवाबपत्र में गैर सायल द्वारा उठाए गए आक्षेपों का बिन्दुवार खण्डन करते हुए स्पीकिंग आदेश लिखा गया। इसके ठीक विपरित पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त निर्णय में बिना किसी आधार के यह अंकित किया गया कि गैर सायल ने उपस्थित होकर आराजी पर अतिक्रमण होना स्वीकार किया। जबकि गैर सायल द्वारा अपने जवाबपत्र दिनांक 15.10.2024 में इस बात का खण्डन किया गया है कि खसरा संख्या 71 पर उसका कोई व्यक्तिगत कब्जा अथवा अतिक्रमण है, अपितु सार्वजनिक चबूतरे की मरम्मत ग्राम गिराली के भक्तजनों द्वारा सार्वजनिक चन्दे के द्वारा सामुहिक रुप के की गई है और इस कारण उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही को खारिज की जाए।

पीठासीन अधिकारी से यह भी अपेक्षित था कि गैर सायल द्वारा जवाब प्रस्तुत कर खण्डन करने पर मौके की उत्तरोत्तर जाँच करवाकर इस तथ्य की तस्दीक की जाती है कि क्या हल्का पटवारी रिपोर्ट अनुसार मौके पर गैर सायल का व्यक्तिगत दो मंजिला मकान निर्मित है अथवा गैर सायल के कथनानुसार सामूहिक रुप से निर्मित कबूतरों का चबूतरा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 12/2024 में प्रदत्त निर्णय दिनांक 30.10.2024 में पीठासीन अधिकारी द्वारा न तो गैर सायल द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत जवाबपत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में कोई उत्तरोत्तर जाँच करवाई गई और न ही उक्त जवाबपत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करने के आधारों का उक्त निर्णय में उल्लेख किया है। ऐसा Non-Speaking आदेश विधिसम्मत निर्णय की परिधि में नहीं माना जा सकता।

यह सत्य है कि गैर मुमकिन ओरण किस्म की भूमि को विभिन्न न्यायिक निर्णयों के द्वारा प्रतिबन्धित वन भूमि की श्रेणी में शामिल माना गया है तथा ऐसी भूमि पर किसी भी प्रकार के अतिचार से कोई वैधानिक अधिकार सृजित नहीं होते हैं, किन्तु किसी व्यक्ति को बिना किसी ठोस आधार एवं सम्यक् जाँच के साइक्लोस्टाईल प्रारुप में निर्णय के द्वारा उसे व्यक्तिगत अतिक्रमी मानते हुए उसके विरुद्ध निर्णय पारित करना गैर सायल के व्यक्तिगत अधिकारों का हनन है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 115/2024

उनवान : भीकाराम बनाम तहसीलदार देसूरी अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

अतः अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रकरण संख्या 12/2024 में प्रदत्त निर्णय दिनांक 30.10.2024 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनर्प्रेषित करते हुए निर्देश दिए जाते है कि गैर सायल द्वारा उक्त प्रकरण में प्रस्तुत जवाबपत्र दिनांक 15.10.2024 में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में मौके की भौतिक स्थिति की पुनः जांच करवाए तथा एक माह की अवधि के भीतर विधिसम्मत तथा स्पीकींग आदेश पारित करे। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली